न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी — मोहरसिंह मीना (आरएएस)

— उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

मुकदमा नम्बर — 209 / 15, 2015

दर्ज दिनांक :— — 18. 06. 2015

1. हरगोविन्द] पि० प्रभूलाल
2. विनोद]

3. रामप्यारी पत्नी प्रभूलाल
   समस्त जाति माली निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज०
4. राजी पत्नी राजू पुत्री प्रभूलाल माली
5. बद्दो पत्नी रमेश पुत्री प्रभूलाल माली निवासी हरिपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा
6. छोटी पत्नी राजू पुत्री प्रभूलाल माली निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा
7. अनिता पत्नी रामस्वरूप पुत्री प्रभूलाल माली निवासी खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

—वादीगण

बनाम

1. लल्लू पुत्र हाबूलाल (फौत)

1/1 चिरजी उर्फ पप्पू पुत्र लल्लू]
2. लच्छी बेवा रंगलाल] जाति माली निवासी डिडवाना लालसोट जिला दौसा राज०

3. ममता पत्नी रमेश पुत्री रंगलाल जाति माली निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा राजस्थान
4. उगन्ती पत्नी कमलेश पुत्री रंगलाल जाति माली निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा राजस्थान
5. कल्याण पुत्र धन्ना
6. रामजीलाल पुत्र पोकर
7. मोतिया पत्नी गोपाल
8. श्योनारायण पुत्र मोती
9. पुनी
10. कल्या पुत्र नेहना
11. हरला] पिता नेहन्या
12. गंगाराम]

समस्त जाति माली निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।

13. यूको बैंक शाखा डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा
14. एसबीआई बैंक शाखा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट
16. उपपंजीयक तहसील लालसोट

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

के ही पगडी दस्तुर हुआ था। तब से ही प्रभू व उनके पश्चात् उनके वारिसान वादीगण आराजी जैर बहस के दर हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त होकर लाभान्वित चले आ रहे है। प्रभू की मृत्यु के उपरान्त वादीगण अपने पिता के जीवन काल से ही काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा विवादग्रस्त आराजी के दर हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काबिज रहे है। विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हाबू पुत्र गणेश का गलत इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की नियत में फितुर हो जाने तथा जमीनों के भाव आसमान छू जाने के कारण हाबू के के गलत नाम का इन्द्राज होने के कारण विवादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने नाम सम्पूर्ण भूमि दर हिस्सा 1/3 का नामान्तरकरण खुलवाकर किसी दिगर को बेचान करने पर आमदा है।

वादीगण का यह भी कथन है कि विवादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 अपनी पैतृक भूमि पर दर हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/2 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बाबत अपना हक अनुचित रूप से जताकर वादीगण को अनुचित तरीके से हैरान व पेरशान करने पर आमदा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा अथाह मेहनत कर आर्थिक लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उक्त आराजीयात में बोरिंग/विधुत कनेक्शन करवाकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा विवादगस्त आराजी पर वादीगण द्वारा पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवारजनों सहित निवास कर जीवन यापन करता चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पारिवारिक पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मशः हक हिस्सा अधिकार निहित है जिससे कानूनन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 किसी भी सूरत में महरूम नहीं कर सकते।

आगे वादीगण ने कथन किये है कि आज तक वादीगण शांति पूर्वक अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे थे किन्तु दिनांक 10/06/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया तथा वादीगण को बेजा चेतावनी दी कि यह भूमि हमारी है तथा हमारे पूर्वज हाबू के नाम से है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब दिनांक 16/06/2015 को पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आपस में मिलकर किसी अवैध दस्तावेज की आड लेकर उक्त भूमि को हडपने को प्रयासरत है तब उसी दिन वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी लेकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से बात करनी चाही तो वे विवाद करने लग गये एवं वादीगण को चेतावनी दी की वादग्रस्त भूमि को अपने नाम करवाकर बेचान करेगे इसी विनाय वाद कारण उत्पन्न होने के कारण यह वाद अपने हक हकूक की रक्षार्थ पेश कर वादग्रस्त आराजी में वादीगण के दर हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का दर हिस्सा 1/3 में से दर हिस्सा 1/2 के नाम उद्घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण ने अपने अभिवचन में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 को सहखातेदार होने के कारण परफोरमा फरीक पार्टी दर्ज किया गया है जिनसे किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गई है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या। दिनांक 25.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 11 के नाम हजफ प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर नाम हजफ किया गया। तारीख पेशी दिनांक 10.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री कमलेश सैनी तथा 2 लगायत 3 की ओर से वकील श्री

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज

रामकेश सैनी ने पावर तथा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिन्हें अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.09.2022 को नोट प्रेस कर लिया गया। साथ ही वादीगण की ओर से वकील श्री ओम प्रकाश सैनी ने वकालतनमा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कामय मुकाम पेश किये। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पर सुना जाकर वकील प्रतिवादीगण की सहमति पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित उनवान स्वीकार कर शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 की ओर से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में खसरा नम्बर वर्तमान खाता संख्या 67 के खसरा नं. 382 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, में दर हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 1425 में खसरा नं0 460 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण व वर्तमान खाता संख्या 116 के खसरा नं0 520 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 521 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 522 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 के मोरूसी आला गणेश का दर हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा शेष सहखातेदारान प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी दर्ज है। मृतक मोरूसी आला गणेश के दर हिस्सा 1/3 की भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 की पैतृक कृषि भूमि है। गणेश के ज्येष्ठ पुत्र हाबू ने कर्ता खानदान होने के कारण गणेश की समस्त भूमि अपने नाम करवा ली थी जबकि गणेश के दूसरे पुत्र भौर्या ने हाबू के जीवनकाल में ही प्रभू को गोद ले लिया था। इस प्रकार हाबू के नाम दर्ज भूमि के हिस्सा 1/2 के वादीगण एवं हिस्सा 1/2 के प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 खातेदार है। इस प्रकार राजीनामा पेश कर आराजी खसरा नम्बर 460 रबा 03 बीघा सम्पूर्ण वादीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 520 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 521 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 522 रकबा 09 बीघा 5 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 का दर हिस्सा 1/3 मे से हिस्सा 1/2, 1/2 के खातेदार उद्घोषित कर खसरा नम्बर 382 में हिस्सा 1/3 में से दर हिस्सा 1/3 मे से हिस्सा 1/2 1/2 के वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1/1 व 2 लगायत 4 खातेदार काबिज काश्तकार है परन्तु वादीगण के पिता व पति प्रभूलाल के नाम राजस्व अभिलेख मे आराजी खसरा नं0 383 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि मे से हिस्सा 1/2 अर्थात 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि का पूर्व से खातेदार काबिज काश्तकार है जिसको समाहित करते हुये खसरा नं0 382 दर हिस्सा 1/3 में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण को कम कर प्रतिवादी 1/1 व 2 लगायत 4 के के नाम कर दी जावे तथा शेष बची भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 2 लगायत 4 के मध्य हिस्सा 1/2, 1/2 बराबर–बराबर रहेगी मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.09.2022 नियत की गई। नियत दिनांक को वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए वादीगण की पहचान् अधिवक्ता वादीगण श्री ओमप्रकाश सैनी द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान् अधिवक्ता प्रतिवादी श्री कमलेश सैनी द्वितीय द्वारा की गई पक्षकारान् की पहचान हेतु दस्तावेज के रूप में स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। उभयपक्षकारान् को राजीनामा पढकर सुनाया गया। उभयपक्षकारान् द्वारा राजीनामे में अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी करवाई जाकर राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर वादी हरगोविन्द ने शपथ–पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श संख्या–1 जमाबन्दी खाता संख्या 67 सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या –2 जमाबनदी खाता संख्या 1425 सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या–3 जमाबन्दी खाता संख्या 116 सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या–4 सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिडवाना दिनांक 16.06.2015, प्रदर्श संख्या–5 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2003–2022, प्रदर्श संख्या–6 जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, प्रदर्श संख्या–7 जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038, प्रदर्श संख्या–8 जमाबन्दी संख्या सम्वत् 2039 से 2042, प्रदर्श

उपखण्ड अधिका
लालसोट जिला-दौसा (रा

संख्या–9 जमाबन्दी खसरा संख्या 386 संम्वत् 2040 से 2043, प्रदर्श संख्या–10 जमाबन्दी खसरा संख्या 382 सम्वत् 2040 से 2043, प्रदर्श संख्या–11 जमाबन्दी खसरा संख्या 383 सम्वत् 2044 से 2047, प्रदर्श संख्या–12 जमाबन्दी खसरा संख्या 382 सम्वत् 2044 से 2047, प्रदर्श संख्या –13 जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051, प्रदर्श संख्या–14 जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 एक्जीविट करवाये। दिनांक 06.10.2022 को पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का कथन है कि वादगस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर उभयपक्षो का हिस्से अनुसार कब्जा है। किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज हाबू कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि हाबू के ही नाम दर्ज हो गई जबकि हाबू के दूसरा भाई भौर्या भी था जिसने प्रभू को हाबू के जीवनकाल में ही गोद ले लिया था। इस प्रकार पैतृक कृषि भूमि में प्रभू का भी उतना ही हिस्सा था जितना हाबू का था। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श संख्या–1 जमाबन्दी खाता संख्या 67 संम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या –2 जमाबनदी खाता संख्या 1425 सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या–3 जमाबन्दी खाता संख्या 116 सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श संख्या–4 सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिडवाना दिनांक 16.06.2015, प्रदर्श संख्या–5 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2003–2022, प्रदर्श संख्या–6 जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, प्रदर्श संख्या–7 जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038, पदर्ष संख्या–8 जमाबन्दी संख्या सम्वत् 2039 से 2042, प्रदर्श संख्या–9 जमाबन्दी खसरा संख्या 386 संम्वत् 2040 से 2043, प्रदर्श संख्या–10 जमाबन्दी खसरा संख्या 382 सम्वत् 2040 से 2043, प्रदर्श संख्या–11 जमाबन्दी खसरा संख्या 383 सम्वत् 2044 से 2047, प्रदर्श संख्या–12 जमाबन्दी खसरा संख्या 382 सम्वत् 2044 से 2047, प्रदर्श संख्या –13 जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051, प्रदर्श संख्या–14 जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 का जिक्र करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का मुताबिक वाद पत्र हक अधिकार निहीत है तथा प्रतिवादीगण ने भी इस बाबत राजीनामा पेश कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने में सहमति प्रदान की है।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामे व उभयपक्षों की बहस पर गौर फरमाया। वादीगण हरगोविन्द व अन्य ने अपने वाद पत्र में गणेश माली को मोरूसी आला बताकर तथा उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि की पैतृक भूमि के आधार पर उद्घोषणा चाही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रदर्श संख्या–4 सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिडवाना दिनांक 16.06.2015, तथा गणेश, हाबू पुत्र गणेश, भौरया पुत्र गणेश के मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवलोकन एवं सजरे के संबंध में प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर स्पष्ट है कि हाबू माली व भौरया माली गणेश के ही वारिसान् थे।वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात से उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्दाज हाबू माली पुत्र गणेष के नाम दर्ज स्पष्ट है। चूंकि हाबू और भौरया सगे भाई थे इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति में जितना हक अधिकार हाबू माली का था उतना ही भौरया का भी था। प्रतिवादीगण द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया है कि हाबू के जीवनकाल में ही भौरया ने प्रभूलाल माली को गोद लिया था इस कारण प्रभूलाल ही भौरया का वारिस साबित होने से भौरया की सम्पति में प्रभूलाल माली एव उनके लीगल वारिसान् का ही हक अधिकार है।

इस संबंध में विधि का अध्ययन किया विधि की भी यही मषा है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई व्यवस्था जिनके एक समान पूर्वज है या जो एक–दूसरे से

उपखण्ड अधिक
मालसोट जिला-दौसा (रा

सम्बन्ध रखते है परिवार में शांति बनाये रखने के लिए कुटुम्बिक समझौता के रूप में मान्य होनी चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिऐ।
प्रस्तुत प्रकरण में भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा प्रकरण में उभय पक्षकारों द्वारा इसी भाति का एक कोटुम्बिक समझौता पेश किया है जिसे इस प्रकरण पर लागू किया जाना न्यायोचित है इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः उक्त विवेचनों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादीगण सारवान रूप से विधि सम्मत साबित होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामें इस आशय से निर्णीत एवं डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 382 दर हिस्सा 1/3 में से 33 बिस्वा भूमि अर्थात 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1/1 व 2 लगायत 4 के नाम की जावे एवं उक्त खसरा नं0 382 मे से शेष बची भूमि को वादीगण व प्रतिवादी सं0 1/1 व 2 लगायत 4 के मध्य हिस्सा 1/2, 1/2 में दर्ज कर दी जावे। तथा आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 03 बीघा सम्पूर्ण का वादीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 520 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 521 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 522 रकबा 09 बीघा 5 बिस्वा जो कि हाबू पुत्र गणेश के नाम की भूमि दर हिस्सा 1/3 मे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 हिस्सा 1/2— 1/2 के खातेदार उद्घोषित किये जाते है। राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि मृतक हाबू पुत्र गणेश के स्थान पर निणर्य व डिक्री अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 लगायत 4 का इन्दाज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभय पक्षों की मौजूदगी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मोहर सिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट